प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

3 days "Investigation of Cases under POCSO Act 2012"

(For Sub-Inspector to Dy. S.P.)

दिनांक 22-07-2021 से 24-07-2021

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

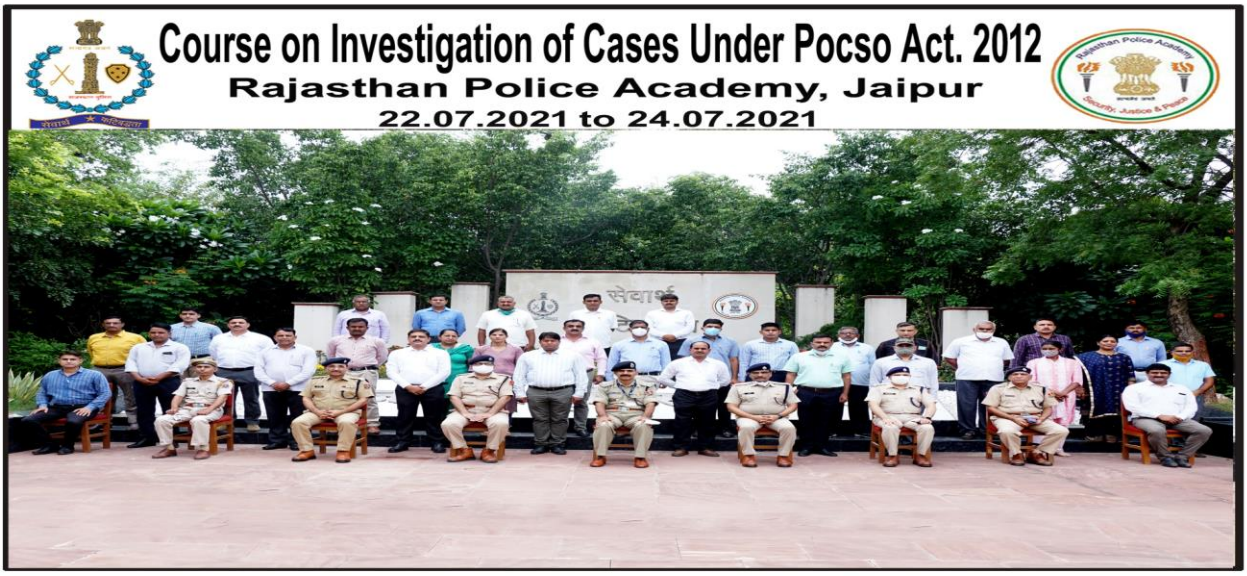

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 22-07-2021 से 24-07-2021 "Investigation of Cases under POCSO Act 2012" विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चुअल कक्ष में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 31 प्रतिभागियों जिसमें 02 उप अधीक्षक पुलिस 09 पुलिस निरीक्षक 20 उप निरीक्षक ने भाग लिया।

दिनांक 22-07-2021, 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय दिया गया। तत्पश्चात प्रथम दिन के प्रथम सत्र में श्री रमेश चौधरी, पीओ ने किशोर न्याय के प्रावधान (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 और पोक्सो मामलों के साथ संबंधित नियमों पर विस्तार से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्रीमती कविता शर्मा, पुलिस निरीक्षक ने पोक्सो अधिनियम, 2012 के संदर्भ में सोशल नेटवर्किंग साइट्स और साइबर पोर्नोग्राफी पर ऑनलाइन अपराध और दुर्व्यवहार पर अपना व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में डॉ० राजेश कुमार, सहायक निदेशक, एफ.एस.एल. जयपुर ने पोक्सो अधिनियम और इससे संबंधित मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य का महत्व SAECK किट का भौतिक साक्ष्य संग्रह में उपयोग विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र में डॉ. दीपाली पाठक, ऐसोसिएट प्रोफेसर, फॉरेंसिक मेडिसिन एसएमएस अस्पताल, जयपुर ने मेडिको पोक्सो एक्ट, यौन हिंसा की कानूनी परिभाषा, चोट के बाद का समय, उम्र का अनुमान, मेडिको कानूनी जांच, रिपोर्टिंग आदि पर अपना व्याख्यान दिया। MoHFW के दिशा-निर्देश और प्राटोकॉल के अनुसार बचे हुए लोगों के लिए मेडिको-लीगल केयर, यौन हिंसा के शिकार बच्चों

और प्रतिक्रियाशील मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना, पीडितों के लिए मेडिको-लीगल केयर के बारे में पुलिस – न्यायपालिका इंटरफेस और बच्चे/पीडितों के लिए साइको सोशल केयर के दिशा-निर्देश, स्वास्थ्य, यौन हिंसा की मेडिको-लीगल एग्जामिशन रिपोर्ट पर चर्चा की। तृतीय सत्र में श्री सुरेन्द्र जाखड़, अधिवक्ता, जयपुर ने पोक्सो एक्ट के तहत केस चलाने के लिए एसओपी तैयार करना। महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधान एवं नवीनतम संशोधन पर विस्तार से चर्चा की।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने पोक्सो अधिनियम के तहत जांच, पोक्सो अधिनियम के तहत अन्वेषण के व्यावहारिक पहलू पर चर्चा करते हुये क्या करे और क्या नहीं करे पर अपना व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री उत्कर्ष द्विवेदी, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय ने एफआईआर, बयानों की रिकॉर्डिंग और पीड़ित की मेडिकल जांच, पुनर्वास एवं परामर्श के विशेष प्रावधानों पर वयाख्यान दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम समापन सत्र में 03:00 पीएम पर सहायक कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स रिपोर्ट प्रस्तुत कर, पोक्सो विषय पर चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

हस्ताक्षर

कोर्स निदेशक